अपील संख्या - 1008/2025 रमेश बनाम तहसीलदार सोजत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.05.26	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में यह कथन किया कि उक्त अपील तहसीलदार, सोजत जिला पाली के द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 22/2024 अनवान रमेश पुत्र सुकराराम बनाम सर्व साधारण में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.2025 के विरूद्ध पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट के द्वारा पेश उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिनांक 22.7.2018 को निष्पादित वसीयत के आधार पर ग्राम सोजत प्रथम चक के खाता संख्या 2368 के ख0सं0 1276 रकबा 0.0410 हैक्टर भूमि के संयुक्त खातेदार सायरी पत्नी सुकराराम घांची की खातेदारी का 1/2 वां हिस्सा अपीलान्ट के नाम किये जाने पर वसीयत के आधार पर नामा0 दर्ज करने के आदेश दिनांक 23.7.2025 को पारित किये गये थे। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि दिनांक 24.7.2025 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का सोजत चक प्रथम के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ख0सं0 1276 रकबा 0.0410 हैक्टर भूमि में सायरी पत्नी सुकराराम के द्वारा एक अन्य वसीयत ग्रहणकर्ता श्री चन्द्राराम के वारिसान द्वारा श्री चन्द्राराम के पक्ष में दिनांक 8.2.2021 को नोटेरीशुदा वसीयत का प्रकरण न्यायालय हाजा में विचाराधीन होने से व प्रकरण में वर्णित भूमि का रकबे में शुद्धिपत्र भरने से तकनीकी बाधा आने से मार्गदर्शन चाहा गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों की जानकारी सामने आने पर तथा प्रकरण संख्या 09/ 2024 में उपरोक्त भूमि को लेकर ही प्रकरण विचाराधीन होने के तथ्यों के आधार पर राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 86 (2) के तहत निर्णित पत्रावली का पुनरावलोकन किये जाने बाबत निर्णित उक्त प्रकरण को पुनः दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि के विरूद्ध पारित किया गया है जिसे निरस्त किया जावें। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि मूल प्रार्थना पत्र प्रार्थी के द्वारा सही तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया था। उक्त वादग्रस्त की खातेदारी भूमि प्रार्थी/अपीलान्ट की माता श्रीमती सायरीदेवी के नाम से ही, जिसने प्रार्थी को वसीयत की थी और उसी वसीयत के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के पक्ष में नामा0 दर्ज करने के आदेश पारित किये थे। ऐसे में	

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

	अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने ही अपीलाधीन निर्णय को पुनः विलोकन करने का जो निर्णय लिया गया है, वह विधि के विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय वसीयत और जमाबन्दी दस्तावेज में सभी तरह से रकबा बराबर अंकित है लेकिन पटवारी हल्का के द्वारा शुद्धिपत्र हेतु आदेश दिया, कहने मात्र से नहीं होता है। अपीलान्ट को उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में नोटिस राजस्व विविध संख्या 22/2024 में प्रस्तुत नहीं किया है, केवल मात्र निर्णय दिनांके 23.7.2025 के बावजूद राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर सांठ–गांठ कर झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुनर्विलोपित करने का आदेश दिया गया जो निरस्त किया जावें। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 23.7.2025 के अनुसार पटवारी व तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जावें एवं अपीलान्ट का नाम जमाबन्दी में इन्द्राज किया जावें। प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि श्रीमती सायरी का माफिक राजस्व रेकर्ड 1/2 हिस्सा संलग्न जमाबन्दी अनुसार दर्ज है। प्रकरण पेश होने पर अपीलान्ट/प्रार्थी के उक्त वसीसत के आधार पर नामा0 दर्ज करने के आदेश दिनांक 23.7.2025 को पारित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 24.7.2025 को पटवारी हल्का के द्वारा उक्त निर्णय की पालना करने में तकनीकी बाधा आने, तथा एक अन्य वसीयत का प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने के तथ्य ध्यान में लाये जाने पर पूर्व पारित आदेश दिनांक 23.7.2025 को पुनर्विलोकन करना उचित मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पुनर्विलोकन करने हेतु पत्रावली को रिओपन करने का आदेश दिनांक 24.7.2025 को पारित किया गया है तथा वर्तमान में वादग्रस्त भूमि सम्बन्धी पेश प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु विचाराधीन है जिसमें अन्तिम निर्णय लिया जाना बाकी है। चूंकि अपीलान्ट ने यह अपील उक्त पुनर्विलोकन सम्बन्धी पारित आदेश को रूकवाने तथा पूर्व आदेश दिनांक 23.7.2025 की पालना में जमाबन्दी में अपना नाम इन्द्राज करने का निवेदन किया है। उक्त प्रकरण का पुनर्विलोकन किये जाने बाबत पारित आदेश के सम्बन्ध में तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित होने के कारण उच्चतर न्यायालय के समक्ष अपील दायर नहीं की जा सकती है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज की जावें। हमने विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा की गई बहस पर मनन एवं चिन्तन किया तथा अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया है कि अपीलान्ट के	

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

द्वारा यह अपील अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से पेश अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपीलाधीन प्रकरण संख्या 22/2024 की पत्रावली को दिनांक 23.7.2025 को अन्तिम रूप से निर्णित कर दिये जाने बाबत पारित आदेश को पुनर्विलोकन किये जाने का (प्रकरण को पुनः रिओपन करने का) जो आदेश दिनांक 24.7.2025 को पारित किया गया है, उसके विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 86 (2) के तहत निर्णित पत्रावली को रिओपन करने सम्बन्धी पारित किये गये आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत इस अपील पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। ऐसे में अपील को गुणावगुण पर निर्णित नहीं करते हुए इसी स्तर पर निस्तारण की जाती है। अपीलान्ट अपील में वर्णित अनुतोष हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली बाद निस्तारित होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावें।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर